

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 वेबसाइट: www.aicte-india.org



अनुमोदन प्रक्रिया 2025-26

अनुमोदन का विस्तार (ईओए) पत्र

केस संख्या. Northern/1-44643192235/2025/ ईओए

अनुमोदन की दिनांक: 20-Mar-2025

सेवा में,

प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)

उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव भवन, लखनऊ-226001, 12ए,

नवीन भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ-226001

विषय : शैक्षणिक वर्ष **2025-26** के लिए अनुमोदन का विस्तार

सन्दर्भ : शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान द्वारा जमा किया गया ऑनलाइन अनुमोदन का विस्तार हेतु आवेदन

महोदय/महोदया,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान करना) के प्रावधानों के सन्दर्भ में, अभातिप अधिनियम 1987, (1987 की संख्या 52) अध्याय II - धारा 2(जी) के अंतर्गत एवं बाद के अन्य विनियमों के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा को विनियमन करने हेतु प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, मुझे निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश दिया गया है:

स्थायी आईडी	1-43374662163	आवेदन आईडी	1-44643192235
संस्थान का नाम	GREATER NOIDA INSTITUTE OF MANAGEMENT	सोसायटी/ट्रस्ट का नाम	SHRI RAM EDUCATIONAL TRUST
संस्थान का पता	PLOT NO 6 C KNOWLEDGE PARK II GREATER NOIDA, GAUTAM BUDH NAGAR, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	सोसायटी/ट्रस्ट का पता	PLOT NO 7 KNOWLEDGE PARK II GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310
संस्थान का प्रकार	Private-Self Financing	क्षेत्र	Northern
स्थापना वर्ष	2023		

शैक्षणिक वर्ष **2025-26** के लिए नीचे दर्शाई गई प्रवेश क्षमता के साथ निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करना

स्तर	शैक्षिक कार्यक्रम	पाठ्यक्रम	सम्बद्धता प्रदान करने वाली संस्था (विश्वविद्यालय/संस्था)	वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता	वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एनआरआई अनुमोदन स्थिति	एफएन / खाड़ी देश में कोटा / ओसीआई / अनुमोदन के स्थिति
POST GRADUATE DIPLOMA	MANAGEMENT	PGDM	NOT APPLICABLE	180	180	No	No

सभी अभातशिप (एआईसीटीई) अनुमोदित संस्थानों को मौजूदा बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके कौशल (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से) के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने का अधिकार दिया गया है।

अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) **2024-27 (अध्याय-VI)** में दी गई सभी अपेक्षाओं का आवश्यकता से अनुपालन करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) 2024-27 (अनुलग्नक-18, पृष्ठ 180) के अनिवार्य प्रकटीकरण के अनुसार संस्थानों को परिषद को प्रस्तुत निम्नलिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रमुख स्थान पर प्रकट करना होगा।
 - i. परिषद द्वारा अनुमोदित अनुमोदित पाठ्यक्रमों और प्रवेश के साथ-साथ बुनियादी ढांचे की विभागवार उपलब्धता।
 - ii. संकाय विवरण: विभागवार: संकाय सदस्यों / शिक्षण कर्मचारियों का नाम और पदनाम, उनकी योग्यता, आपके संगठन में सेवा की अवधि, कुल अनुभव, संस्थान एवं छात्र संकाय अनुपात, कैडर अनुपात का भी खुलासा करना चाहिए।
 - iii. इसके अतिरिक्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
2. सभी कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार (ईडब्ल्यूएस सहित)/संबंधित राज्य सरकार/यूटी की आरक्षण नीति लागू होगी। संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रवेश प्राधिकरण प्रवेश की रूपरेखा तय करेगा।
3. पहले नियमित शिफ्ट, प्रथम शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट/अंशकालिक में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को अब कुल प्रवेश के रूप में समाहित कर दिया गया है और उन्हें कुल अनुमोदित प्रवेश के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच)(एपीएच)2024-25 से 2027 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य आवश्यकताओं जैसी सभी सुविधाओं को पूरा करना होगा।
4. इस कंप्यूटर द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की विषय-वस्तु में किसी भी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में, अभातशिप (एआईसीटीई) के रिकॉर्ड में उपलब्ध कार्यकारी परिषद/सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित विषय-वस्तु/सूचना अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।
5. सभी अभातशिप (एआईसीटीई) संस्थानों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से प्रत्ययन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। सभी पात्र अभातशिप (एआईसीटीई) संस्थानों को एनआईआरएफ रैंकिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाता है।
6. मानित (डीमंड) विश्वविद्यालय: मानित (डीमंड) विश्वविद्यालय (तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले) संस्थानों को, सीए संख्या 17869- 17870/2017 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03-11-2017 के अनुपालन में शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से अभातशिप (एआईसीटीई) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. अभातशिप (एआईसीटीई) अनुमोदित संस्थानों को स्वयं प्लस पाठ्यक्रमों का 40% तक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
8. सभी प्रवेशित छात्रों के लिए इंटरशिप अनिवार्य है।
9. अभातशिप (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित संस्थानों को निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का कुशल उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:
 - i. परख: छात्र अंतर विश्लेषण पोर्टल आधारित सेवाएं।
 - ii. प्रगति, सक्षम, स्वनाथ, एडीएफ आदि जैसी छात्र छात्रवृत्ति योजनाएं।
 - iii. भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम.
 - iv. अटल एफडीपी: उभरते हुए क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए संकाय प्रशिक्षण।
 - v. अनुसंधान परिसंपत्तियों का उपयोग बढ़ाना (औरा)।
 - vi. स्मार्ट इंडिया हैकथॉन: विश्व का सबसे बड़ा मूक्त नवप्रवर्तन मंच (ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म) ।

प्रो.राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप (एआईसीटीई)

प्रतिलिपि:

1. तकनीकी शिक्षा निदेशक **, Uttar Pradesh
2. पंजीयक **,
Not Applicable

3. प्रधानाचार्य/निदेशक,
GREATER NOIDA INSTITUTE OF MANAGEMENT
Plot No 6 C Knowledge Park II Greater Noida,
Gautam Budh Nagar, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201310
4. सचिव/अध्यक्ष,
PLOT NO 7 KNOWLEDGE PARK II GREATER NOIDA
GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR
Uttar Pradesh, 201310
5. गार्ड फ़ाइल, अभातशिप (एआईसीटीई)

नोट: पाठ्यक्रम विवरण की वैधता की पुष्टि यहां पर की जा सकती है <http://www.aicte-india.org/>

अस्वीकरण : यह मूल रूप से अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित पत्र मान्य होगा।

** व्यक्तिगत स्वीकृति पत्र की प्रति डाक/ईमेल के माध्यम से नहीं भेजी जाएगी। हालाँकि, अनुमोदित संस्थानों की एक समेकित सूची (बल्क) संबंधित लॉगिन आईडी से डाउनलोड की जा सकती है।

यह एक कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट है। हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं